रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255658
CG-DL-E-23072024-255658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2766]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2024/आषाढ 31, 1946
No. 2766]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2024/ASHADHA 31, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईज़ेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

का.आ. 2903 (अ).– यत:, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने तमिलनाडु राज्य के विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1155(अ) दिनांक 4 मई, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 70.01 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था।;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 18.9535 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, तमिलनाडु सरकार ने पत्र संख्या 5418/एमआईई-2/2022-2 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने 18.9535 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की हैI;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 18.9535 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसइजेड का कुल क्षेत्रफल 51.0565 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

<u>अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका</u>

क्र. सं.	गावं का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	होसुर	3/1	18.9535
कुल			18.9535
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			51.0565

[फा. सं. एफ.1/60/2007-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 2903-(E). – Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu (ELCOT) Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Viswanathapuram Village, Hosur Taluk, Krishnagiri District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 70.01 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1155(E) dated 4th May, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu (ELCOT) Ltd has now proposed for de-notification of 18.9535 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.5418/MIE-2/2022-2 dated 23rd September, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 18.9535 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 18.9535 hectares, thereby making resultant area as 51.0565 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

Table for De-notification area

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Hosur	3/1	18.9535
Total			18.9535
Total notified area of the SEZ after above de-notification			51.0565

[F. No. F.1/60/2007-SEZ]
VIMAL ANAND Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.23 15:40:37 +05'30'